"पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में".

"दिवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 18152/2015".

==========

"उपेन्द्र कुमार सिंह, स्व. जगदीश सिंह के पुत्र, निवासी गाँव रायपुर चोर, पोस्ट ऑफिस रायपुर चोर, जिला रोहतास".

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार सरकार
2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बौद्ध मार्ग, पटना
3. उप निदेशक, शिक्षा विभाग, बौद्ध मार्ग, पटना
4. जिला शिक्षा बिल्डिंग, रोहतास

.....प्रतिवादी

==========

उपस्थिति	:	
याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री प्रताप शर्मा ,अधिवक्ता
प्रतिवादी के लिए	:	श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जीए-7
	:	श्री अभिनव अशोक, जीसी टू जीए-7

==========

मामले का सारांश - संविधान का अनुच्छेद 226 - माध्यमिक शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के आदेश को चुनौती , जिसमें याचिकाकर्ता की चपरासी (क्लास-IV) पद पर पुनर्बहाली की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। - क्या 24 वर्षों की देरी (1991 से 2015) याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार है?

विलंब एवं निष्क्रियता के कारण राहत से वंचित - याचिकाकर्ता ने 1991 में बर्खास्तगी के 24 साल बाद, 2015 में यह याचिका दायर की।- अत्यधिक देरी (Laches) के कारण न्यायालय ने पुनर्बहाली के दावे को अस्वीकार कर दिया।- (संदर्भ: उत्तर प्रदेश जल निगम बनाम जसवंत सिंह [(2006) 11 SCC 464]) (पैरा 7, 13)

- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल बार-बार आवेदन (Representations) दाखिल करने से सीमित अवधि (Limitation Period) नहीं बढ़ती। - (संदर्भ: 2022 Live Law (SC) 232)

(पैरा 11)

याचिकाकर्ता की पुनर्बहाली याचिका का अस्वीकृत किया जाना उचित था - याचिकाकर्ता 2013 से पहले दायर किए गए किसी भी आवेदन की प्रति प्रस्तुत करने में असफल रहा, जिससे उसकी निष्क्रियता स्पष्ट होती है। - माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने 2015 में उचित रूप से याचिका अस्वीकृत की**, क्योंकि यह दावा **बहुत पुराना (Stale Claim) था - (संदर्भ: उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अरविंद कुमार श्रीवास्तव [(2015) 1 SCC 347]) (पैरा 10-12)

पुनर्बहाली के लिए कोई उपलब्ध रिक्ति नहीं थी - 21.08.2022 से राज्य सरकार ने क्लर्क एवं चपरासी पदों को "समाप्त श्रेणी" (Dying Cadre) घोषित कर दिया - इसलिए, भले ही याचिकाकर्ता का दावा वैध माना जाता, तब भी उसकी पुनर्बहाली असंभव थी - (पैरा 7, 15)

निष्कर्ष - 24 वर्षों की देरी के कारण याचिका खारिज की गई। - चपरासी पद की समाप्ति के कारण पुनर्बहाली संभव नहीं थी। अतः न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी।

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

==========

कोरम: माननीय श्री न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा

मौखिक निर्णय

तारीख : 16-07-2024

1. याचिकाकर्ता ने उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार सरकार द्वारा पारित पत्र संख्या 2440 में निहित दिनांक 31.08.2015 के आदेश को रद्द करने के लिए वर्तमान रिट आवेदन दायर किया है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के चपरासी (वर्ग-IV) के रूप में बहाली के दावे को खारिज कर दिया गया है। याचिकाकर्ता के संबंध में ज्ञापन संख्या 6949-76 दिनांक 04.12.1991 को रद्द करने के लिए भी प्रार्थना की गई है।

2. वर्तमान आवेदन को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि वर्ष 1988 में तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतास द्वारा चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति के लिए एक पैनल तैयार किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम क्रम संख्या 10 पर अंकित था। इसके बाद याचिकाकर्ता को 23.11.1988 को प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, नोखा, रोहतास में चपरासी के पद पर नियुक्त किया गया।

3. याचिकाकर्ता को पत्र संख्या 1697 दिनांक 10.04.1991 के माध्यम से उसकी नियुक्ति पर प्रश्न उठाते हुए कारण बताओ नोटिस भेजा गया, जिस पर याचिकाकर्ता ने अपना जवाब प्रस्तुत किया और उसके बाद पत्र संख्या 51 दिनांक 06.12.1991 के माध्यम से जवाब असंतोषजनक पाते हुए याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त कर दी गईं।

4. कुछ समान स्थिति वाले व्यक्तियों में से जगदीश सिंह और अन्य ने सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 8996/1991 के तहत रिट आवेदन दायर किया था, जिसका निपटारा 19.01.2000 को हुआ और रिट आवेदन के याचिकाकर्ताओं को बहाल कर दिया गया। रिट कोर्ट द्वारा पारित आदेश के बाद, जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतास ने अपने पत्र संख्या 1506 के तहत नौ याचिकाकर्ताओं को चपरासी के पद पर बहाल कर दिया।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि समान स्थिति वाले व्यक्तियों को इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों के आलोक में बहाल किया गया है, ऐसे में याचिकाकर्ता को भी बहाल किया जाना चाहिए। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के आलोक में याचिकाकर्ता ने समानता के आधार पर अपनी बहाली के लिए निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के समक्ष एक अभ्यावेदन दायर किया, जिस पर उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ने अपने पत्र संख्या 2189 दिनांक 08.08.2014 के माध्यम से डी.ई.ओ., रोहतास से जवाब मांगा। डी.ई.ओ., रोहतास ने पत्र संख्या एच-57 दिनांक 23.02.2015 के माध्यम से सूचित किया कि याचिकाकर्ता का मामला अन्य बर्खास्त चपरासियों के समान है, ऐसे में याचिकाकर्ता के आवेदन पर उसी आलोक में विचार किया जा सकता है। लेकिन याचिकाकर्ता के बहाली के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने कोई रिट आवेदन दायर नहीं किया था और जिन चपरासियों को बहाल किया गया है, उनकी सिफारिश इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर की गई थी।

6. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि 1991, 1994, 2000 और 2001 में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में समान स्थिति वाले व्यक्तियों को सेवा में बहाल किया गया है। याचिकाकर्ता गहरी नींद से जागा और वर्ष 2015 में तत्काल रिट आवेदन दायर किया।

7. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अनिश्चित व्यक्तियों को केवल इस आधार पर राहत प्रदान करने का अधिकार नहीं है कि अन्य समान स्थिति वाले व्यक्तियों को राहत प्रदान की गई है। वह (2006) 11 एससीसी 464 यू.पी. जल निगम और अन्य बनाम जसवंत सिंह और अन्य में रिपोर्ट किए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि क्लर्क और चपरासी के पद को 21.08.2022 से मृत कैडर घोषित किया गया था, ऐसे में प्रोजेक्ट स्कूल, नोखा या रोहतास जिले के किसी अन्य स्कूल में चपरासी का कोई पद खाली नहीं है।

8. जवाब में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 06.05.2024 को प्रमोद सिंह नामक व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात निशान सिंह स्मारक इंटर कॉलेज, नोखा, रोहतास में चपरासी का एक पद रिक्त हो गया है, जिस पर याचिकाकर्ता को नियुक्त/बहाल किया जा सकता है।

9. पक्षों की सुनवाई और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को 04.12.1991 के ज्ञापन संख्या 6949-76 के आधार पर 06.12.1991 को कुछ अन्य समान स्थिति वाले चपरासी के साथ बर्खास्त कर दिया गया था। समान स्थिति वाले व्यक्तियों ने 1991, 1994, 2000 और 2001 में तत्काल इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और रिट याचिकाओं/एलपीए में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के आधार पर उन्हें बहाल कर दिया गया। यहां तक कि वर्ष 2007 में जब समान स्थिति वाले व्यक्तियों के संबंध में सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 7300/2000 में आदेश पारित किया गया था, तब भी याचिकाकर्ता इंतजार करता रहा और रिट आवेदन दायर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

10. यद्यपि याचिकाकर्ता ने रिट आवेदन में यह कथन दिया है कि वह लगातार अभ्यावेदन दाखिल करता रहा, लेकिन उसकी कोई प्रति अभिलेख पर नहीं लाई गई। हालांकि, याचिकाकर्ता द्वारा 03.12.2013 को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन अभिलेख पर लाया गया है। याचिकाकर्ता के दावे को निदेशक द्वारा वर्ष 2015 में खारिज कर दिया गया था, जो पुराना दावा था और उसके बाद वर्तमान रिट आवेदन दाखिल किया गया है।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2022 लाइव लॉ (एससी) 232 में दिए गए अपने निर्णय में माना है कि केवल अभ्यावेदन दाखिल करने से सीमा अवधि नहीं बढ़ती है और यदि यह पाया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता देरी और लापरवाही का दोषी है, तो उच्च न्यायालय को इसे शुरू में ही खारिज कर देना चाहिए और रिट याचिकाकर्ता को अभ्यावेदन दाखिल करने के लिए बाध्य करके और/या प्राधिकारी को अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश देकर रिट याचिका का निपटारा नहीं करना चाहिए।

12. (2015) 1 एससीसी 347 उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम अरविंद कुमार श्रीवास्तव और अन्य में दिए गए एक अन्य निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि सामान्य नियम यह है कि जब कर्मचारियों के एक विशेष समूह को न्यायालय द्वारा राहत दी जाती है, तो समान स्थिति वाले अन्य सभी व्यक्तियों को उस लाभ को बढ़ाकर समान व्यवहार किया जाना चाहिए। हालांकि, यह सिद्धांत लापरवाही और देरी के साथ-साथ मौन स्वीकृति के रूप में अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त अपवादों के अधीन है। वे व्यक्ति जिन्होंने अपने मामलों में गलत कार्रवाई को चुनौती नहीं दी और उसमें मौन स्वीकृति दे दी और केवल इस कारण से बहुत देरी के बाद जागे कि उनके समकक्षों ने समय से पहले अदालत का दरवाजा खटखटाया था और वे अपने प्रयासों में सफल रहे, तो ऐसे कर्मचारी यह दावा नहीं कर सकते कि समान स्थिति वाले व्यक्तियों के मामले में दिए गए फैसले का लाभ उन्हें दिया जाए। उन्हें अनिश्चित माना जाएगा और लापरवाही और देरी, और / या मौन स्वीकृति, उनके दावे को खारिज करने का एक वैध आधार होगा।

13. वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, निर्विवाद रूप से समाप्ति का आदेश वर्ष 1991 का है और याचिकाकर्ता ने लगभग चौबीस वर्ष बीत जाने के बाद वर्ष 2015 में इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, इस आधार पर कि समाप्ति के आदेश को चुनौती देने वाले समान स्थिति वाले व्यक्तियों द्वारा दायर रिट आवेदन में, इस न्यायालय ने उन याचिकाकर्ताओं को बहाल करने का निर्देश दिया था।

14. यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता ने अभ्यावेदन दाखिल करना जारी रखा, हालांकि वर्ष 2013 में पहली बार दायर अंतिम अभ्यावेदन को छोड़कर अभ्यावेदन की कोई प्रति रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई है, इससे सीमा अवधि नहीं बढ़ती है और रिट आवेदन देरी और लापरवाही के आधार पर खारिज किए जाने योग्य है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता एक अन्य कारण से लंबी अवधि के बाद बहाल होने का हकदार नहीं है कि वह अनिश्चित था और उसने काफी देरी के बाद रिट आवेदन दायर किया था।

15. प्रतिवादी/राज्य का विशेष रुख यह है कि रोहतास जिले में अब चपरासी का कोई पद उपलब्ध नहीं है, अतः मेरी सुविचारित राय में, उपरोक्त कारणों से याचिकाकर्ता की बहाली का आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

16. परिणामस्वरूप, यह रिट आवेदन खारिज किया जाता है।

(अनिल कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

प्रफुल्ल/- एएफआर

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।